UPFR010026492026

Criminal Misc. Cases/1168/2026 KAMPIL
Baby Begum Vs. Jubair and others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश द०प्र०क्षे०, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– शैलेन्द्र सचान ––एच०जे०एस० J O Code No– UP 2406

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या– 1168/2026

बेबी बेगम प्रति जुबैर आदि ।

29.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

संक्षेप में प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा173(4)BNSS में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी ग्राम निजामुददीनुपर थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद की निवासिनी है। उसके पुत्र फैसल अली की शादी शाहिबा बानों पुत्री युनुस खॉ निवासी ग्राम नगला दाऊद थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई है। दिनांक 17.4.26 को समय करीब 2:30 बजे दिन शाहिबा बानों ने अपने घर पर फोन करके भाई जुबैर व फरदीन, बहन रिंकी, मॉ चन्दा तथा पिता युनुस खॉ निवासीगण ग्राम नगला दाऊद थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद और अपने तीन अज्ञात साथियों को जिनके नाम व पता अज्ञात सूरत शिनाख्त प्रार्थिनी के घर बुला लिया। उपरोक्त लोग जबरदस्त प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुस आये और गाली गलौज कर प्रार्थिनी के पुत्र फैस अली के साथ मारपीट करने लगे फैसल को बचाने का प्रयास जब उसनें व शानमियां ने किया तो सभी ने उसे व शानमियां के साथ भी मारपीट की तथा जुबैर ने अपनी गोट से तमंचा निकालकर तान दिया और कहा कि यदि किसी ने शोर शराबा किया तो जान से मार देगें। इसके बाद उपरोक्त सभी लोंगो ने घर के अन्दर रखी अलवारी का ताला तोड दिया और उसमें रखे 237000 रू० नकद लूट लिये तथा उसके गले से सोने की चेन और झुमकी भी खींच ली और शाहिबा बानों अपना समस्त स्त्रीधन, कपडा और फैसल का चढाया जेबर जिसमें एक नेकलेस, छपका, दो अंगूठी लेडीज, पेंडेंल, कुण्डल, चेन बजन करीब 8 तोला, नकद मेहर तथा 10 दिन पूर्व पैदा हुई बच्चियों पर आई न्योछाबर और फैसल द्वारा कमाया तथा इकटठा किया गया 135720 रूपया नकद और गृहस्थी का काफी सामान जो की शाहिबा के पास वअमानत रखा था उपरोक्त लोगो के सहयोग से निकालकर अपने साथ ले गईं और यह धमकी दी कि यदि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की तो जान से मार डालेगें और लाश चील कौंओं

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.07.29 16:52:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को खिला देगें या तुम लोगों पर दहेज का झूठा मुकदमा लगवाकर जेल मे सडवा देगें। प्रार्थिनी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना कम्पिल गई तो कह दिया कि जाँच कर कार्यवाही करेगें परन्तु थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब प्रार्थिनी द्वारा एक प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद फर्रुखाबाद को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया तथा अपने व पुत्र फैसल के शरीर पर आई चोंटों का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल बढपुर फर्रुखाबाद पर कराया गया, फिर भी पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थिनी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है लिहाजा प्रार्थिनी न्याय के लिये न्यायालय आई है। अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय व गम्भीर प्रवृति का है। उक्त संबंध में सम्पूर्ण साक्ष्य पुलिस द्वारा ही एकत्रित किया जा सकता है। प्रार्थिनी द्वारा उक्त सम्बन्ध में इससे पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है। मूल प्रपत्र उक्त पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना कम्पिल को आदेशित किया जावे कि वह मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर विधिवत विवेचना करें।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद की प्रति, स्वयं के मेडिकल आख्या की छाया प्रति व फैसल की मेडिकल आख्या की छाया प्रति व स्वंय का आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किए गये है।

थाने से आख्या तलब की गयी । थाने की आख्या के अनुसार दिनांक 10.04.26 को शाहिबा बानो ने दो बेटियों को जन्म दिया जिसे देखने के लिए शाहिबा बानो के पिता युनुस खां व भाई फरदीन , बहन रिंकी आवेदिका को देखने आये थे। शाहिबा बानो व उसके पति फैसल अली के मध्य दो पुत्रियों के जन्म को लेकर कहा सुनी हो गयी जिस पर पुलिस दोनो पक्षों को थाने ले आयी और फैसल अली , खुसनवाज , जुबैर व फरदीन का चालान BNSS की धारा170,126,135 के अन्तर्गत दिनांक 17.04.2026 कर न्यायालय भेज दिया गया । उक्त प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नही है ।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी बेबी बेगम द्वारा अपनी पुत्रवधु शाहिबा बानो व उसके माता पिता , भाई बहनों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण द्वारा उसके घर में घुस कर लूटपाट और एवं मारपीट किये जाने का आरोप लगाया गया है । प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उसकी बहु शाहिबा बानो अपने स्त्रीधन के साथ साथ अन्य सामान भी अपने माता पिता एवं भाई बहनों के सहयोग से दिनांक 17.04.26 को लूट ले गयी। प्रार्थनी द्वारा स्वंय के एवं शानमियां के मारपीट किये जाने का कथन किया गया है किन्तु अपने

प्रार्थना पत्र के साथ केवल अपना एवं फैसल का मेडिकल परीक्षण दाखिल किया गया है । शानमिया की मेडिकल दाखिन नही किया गया है।थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थिनी की पुत्रवधु शाहिबा बानो के ऑपरेशन से दो बेटियां हुई थी, जिसको देखने के लिए उसके माता- पिता व भाई -बहन शाहिबा के ससुराल आये थे। दोनो पुत्रियों के जन्म को लेकर शाहिबा बानो व शाहिबा बानो के पति(बेबी बेगम के पुत्र फैसल अली) के मध्य कहा सुनी होने लगी । गाली गलौज व मारपीट होने की संभावना के कारण दोनो पक्षों को थाने पर लाया गया तथा फैसल अली, खुसनवाज , जुवैर खां, फरदीन का चालान BNSS की धारा 170,126,135 में दिनांक 17.04.2026 में कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया । थाने की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में लगाये गये लूटपाट एवं मारपीट व अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी द्वारा स्वंय की पुत्रवधु शाहिबा बानो एवं उसके माता पिता एवं भाई बहनों के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा173(4)BNSS झूठे एवं मनगंढंत तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया है । प्रार्थिनी द्वारा स्वंय यह स्वीकार किया गया है कि उसकी पुत्रवधु अपना स्त्रीधन लेकर चली गयी । थाने की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17.04.26 को कोई लूटपाट एवं मारपीट की घटना नही हुई बल्कि दोनो पक्षों में गाली गलौज एवं मारपीट की घटना हुई जिस कारण दोनो पक्षों को थाने लाकर उनका चालान कर दिया गया । विधि का सुस्थापित सिद्धान है कि पारिवारिक अथवा सिविल विवाद को दाण्डिक रंग दिये जाने के प्रयास को प्राथमिक स्तर पर ही रोक दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी बेबी बेगम द्वारा मनगंढत एवं झूठे कथानक के आधार पर अपनी पुत्रवधु एवं उसके माता पिता व उसके भाई बहनों के विरूद्ध लूट पाट के अपराध की एफ आई आर दर्ज कराये जाने हेतु यह प्रार्थऩा पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में लूटपाट किया जाना परिलक्षित नही हो रहा है । अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 173(4)BNSS प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत 173(4)BNSS प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सचान)
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।